[श्री भोगेन्द्र झा]

थे। लेकिन मंत्री महोदय कटिबद्ध रहे और उन्होंने हड़ताल करवा दी। 33 दिन तक वह हड़ताल चली। सदन में बताया गया था कि हमारे अफसर कहां गये हैं और रेलों को चालू करवाएंगे। लेकिन एक भी डिब्बा या एक भी इंजन 33 दिनों तक चल नहीं सका। उसके बाद रेल मंत्री ने आश्वासन दिया कि कोई विक्टिमाइजेशन नहीं होगा और मांगों के बारे में कहा कि जब निर्णय हो जायेगा तो उसको लागू कर दिया जाएगा। श्रम मंत्री ने भी हड़ताल समाप्त करने का आह्वान किया था। खास कर जो बगला देश में हालत पैदा हो गई थी उसको ध्यान में रखकर 33 दिनों के बाद रेल मजदूरों ने हड़ताल को वापिस ले लिया और काम पर आने की घोषणा की। उनको काम पर जाने नहीं दिया गया और गाड़िया चालू हो गई।

उसके बाद 60 के लगभग श्रमिकों को काम से मुअतिल कर दिया गया हैं, 3000 से ज्यादा को ब्रेक इन सर्विस का नोटिस दे दिया गया हैं, कई सौ को गिरफ्तार किया गया है और उससे भी बहुत ज्यादा पर मुकदमा चलाया जा रहा है। यह सुनने में आता है कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और दूसरे अधिकारी यह धमकी देते हैं कि लोग फिर हड़ताल पर जायें। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि रेलवेज किसी की व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं है। इस संस्थान में जो भी घाटा होता है, वह सारे देश का घाटा है। मैं चाहता हूं कि श्रम मंत्री और रेलवे मंत्री की ओर से जो आश्वासन दिया गया है, सरकार उसका पालन करे, नहीं तो कुछ लोग मजदूरों को फिर हड़ताल करने के लिये उकसा रहे हैं। यह आवश्यक है कि सरकार दमन की कार्यवाहियों को वापस ले और हड़ताल से पहले की यथास्थिति को कायम करे।

अध्यक्ष महोदय : श्री तुलमोहन राम।

प्रो० एस० एल० सक्सेना (महाराजगंज) : मैंने एक्सिडेंट के बारे में एक शार्ट-नोटिस क्वेश्चन दिया था।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इन बातों को हाउस में रेफर न करें। वह इस बारे में मुझे लिखें।

श्री तुलमोहन राम।

QUESTION OF PRIVILEGE

Arrest of Shri Tulmohan Ram, M. P. in Bihar

श्री तुलमोहन राम (अररिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आप ने मेरे केस को प्रिविलेजिज कमेटी को रेफर करने की आज्ञा प्रदान की। मैं अपने इलाके के छोटे किसानों, खेतिहर मजदूरों तथा अनुसूचित जातियों के पूरे समर्थन से लोक सभा के लिए चुन कर आया हूं।

MR. SPEAKER : This matter was already before the previous House. It is just a formality.

श्री तुलमोहन राम : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मेरे केस को दोबारा प्रिविलेजिज कमेटी को सौंप दिया जाये।

I beg to move :

"That the question of privilege regarding the alleged arrest of Shri Tulmohan Ram, M.P., on the 28th November, 1969 by Shri Chandrika Prasad, then Sub-Inspector of Police, Mahishi (Bihar) and non-intimation thereof to the Speaker, Fourth Lok Sabha, be re-referred to the Committee of Privileges of this Lok Sabha."

अध्यक्ष महोदय : यह मामला पहले से ही प्रिविलेजिज कमेटी के सामने है। चूंकि चौथी लोक सभा भंग हो गई, पांचवीं लोक

सभा का चुनाव हुआ है और मेम्बर साहब फिर चुन कर आये हैं, इसलिए टेकनिकल वजह से इसको दोबारा यहां लाना पड़ा है। काफी डिसकशन के बाद इस मामले को प्रिविलेजिज कमेटी को सौंपा गया था। इस लिए इसमें ऐसी कोई मुश्किल नहीं है कि इस पर फिर दुबारा डिसकशन किया जाये।

श्री बी० पी० मौर्य (हापुड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं इसी संदर्भ में एक निवेदन करना चाहता हूं।

हमारा यह सदन ब्रिटिश पार्लियामेंट की परम्पराओं को निभा रहा है। परिस्थितियों वश पहला हाउस समाप्त हो गया और उसके साथ-साथ उसकी बनी हुई कमेटी भी समाप्त हो गई, लेकिन सदन के अपमान के रूप में जो क्राइम हुआ था, वह अपनी जगह पर बरकरार है। सदन के साथ-साथ कमेटी भी खत्म हो जाये, इससे मुझे परेशानी नहीं है, लेकिन जो क्राइम हुआ था, वह तो वैसे ही बरकरार है। इस लिए इस बारे में नियम बनाया जाना चाहिये कि हर हालत में ब्रीच आफ प्रिविलेज का मामला बरकरार रहे। इस वक्त तो वातावरण ठीक है और माननीय सदस्य इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन हो सकता है कि किसी विशेष प्रिविलेज इस्यू को पहली पार्लियामेंट तो स्वीकार कर ले, लेकिन दूसरा सदन उसको स्वीकार न करे। इस लिए इस सम्बन्ध में नियम बनाये जाने चाहिये। हमें ब्रिटिश परम्परा के अनुसार नहीं चलना चाहिये।

MR. SPEAKER : The law of privileges is a very wide. अगर हाउस इस बारे में कोई हदबन्दी करना चाहता है और प्रिविलेजि को कोडीफाई करना चाहता है, तो वह दूसरी बात है। इस वक्त इस बारे में कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है।

It is a very simple matter. I know the rules. I kept it pending. I studied it as I was in very much doubt about it and I examined it again and again. I say, let it go to the Privileges Committee. They will examine it.

The question is :

"That the question of privilege regarding the alleged arrest of Shri Tulmohan Ram, M.P., on the 28th November, 1969, by Shri Chandrika Prasad, then Sub-Inspector of Police, Mahishi (Bihar) and non-intimation thereof to the Speaker, Fourth Lok Sabha, be re-referred to the Committee of Privileges of this Lok Sabha."

The motion was adopted.

MR. SPEAKER : The motion is adopted. This matter stands re-referred to the new Committee.

12.35 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Budget Estimates of the Damodar Valley Corporation for the Year 1971-72

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO) : I beg to lay on the Table a copy of the Budget Estimates (Hindi and English versions) of the Damodar Valley Dorporation for the year 1971-72, under sub-section (3) of section 44 of the Damodar Valley Corporation Act, 1948. [*Placed in Library. See* No. LT-337/71.]

12.35½ hrs.

GENERAL BUDGET 1971-72—GENERAL DISCUSSION—(*Contd.*)

MR. SPEAKER : The House will now resume further discussion of the General Budget. The balance of time available is 9 hours and 35 minutes, and the lists before me are very long lists.

SHRI SEZHIYAN : From the Congress side.

MR. SPEAKER : Shri Raja Kulkarni may now continue his speech.